(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 83/2021

बउनवान

1. राधेश्याम उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री प्रताप जाति माली निवासी दिलोद तहसील छबडा
2. जोधराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री प्रताप जाति माली निवासी दिलोद तहसील छबडा
3. जगदीश उम्र 39 वर्ष पुत्र श्री प्रताप जाति माली निवासी दिलोद तहसील छबडा

(अपीलांटगण)

बनाम

रामकल्याण पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी भैरूपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा के प्रकरण संख्या :– राजस्व/धारा 251/रास्ता/ 2020/3/1571 में दिनांक 12.01.2021 को पारित निर्णय के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1– श्री राजेन्द्र कुमार सुमन अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.09.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या :– राजस्व/धारा 251/रास्ता/2020/3/1571 मे पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अन्दर मियाद अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.02.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कियान्विती प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक तक स्थगित रखी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक 1566 दिनांक 25.03.2021 से इस न्यायालय मे मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:24 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा को मेरे खेत मे होकर नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नही है। अपीलांटगण को प्रकरण मे नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पोडेन्ट को यदि नया रास्ता चाहिये था तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट का मेरे खेत मे होकर न तो रेकार्डेड रास्ता है और न ही कदीमी रास्ता है। प्रकरण मे ग्राम पंचायत को नोटिस जारी

किया गया, जिसकी तामील भी रेस्पोडेन्ट को ही करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांटगण को बिना नोटिस जारी किये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये हीं उक्त आदेश पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट को 16 फुट 6 इंच का नया रास्ता दिया गया है। रेस्पोडेन्ट का अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 84 पर आवागमन का रास्ता बीलखेडा के रास्ते से खसरा नम्बर 99 व 85 की पश्चिमी मेढ पर होकर है। रेस्पोडेन्ट का अपीलांटगण के खसरा नम्बर 82 की उत्तरी मेढ पर 20–25 वर्षो से पत्थरों का कोट हो रहा है। प्रकरण मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रक्रिया विधि एवं धारा 251 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों/नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों से असंगत होने से निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 19.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दीलोद माल की खातेदारी जमीन पर जाने का रास्ता राधेश्याम, जोधराज, जगदीश पुत्रगण प्रताप जाति माली निवासी दिलोद के द्वारा तारबन्दी कर रास्ता अवरूद्व कर दिया है, उसे खुलासा करवाया जावे। अपीलांटगण के अभिभाषक का यह कथन गलत है कि 20–25 वर्षो से पत्थरों का कोट हो रहा है। जबकि उनके द्वारा हाल ही मे नया पत्थर का कोट बनाया जाकर रेस्पोडेन्ट का उसकी आराजी कृषि भूमि मे जाने का रास्ता बन्द किया गया है, उसे ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा खुलासा करवाये जाने का आदेश दिया गया है। अतः अपील अपीलांटगण खारिज फरमाई जावे।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या :– राजस्व/धारा 251/रास्ता/2020/3/1571 मे पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 में रेस्पोडेन्ट को उसकी आराजी कृषि भूमि मे जाने का, अपीलांटगण की भूमि मे से 16 फुट 6 इंच का नया रास्ता कायम करने का आदेश किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण मे ग्राम दीलोद की आराजी खसरा नम्बर 84 एवं 85 पर जाने हेतु खसरा नम्बर 100 एवं 82 के बीच की मेढ पर होकर परम्परागत कदीमी रास्ता यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **24.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:30:24 IST
Reason: SelfAttested